

भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण: एक अध्ययन

पंक्षी देवी*

शोधार्थी शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

Email - panchhiyadav30@gmail.com

डॉ. नीति त्रिवेदी**

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

सार:- महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। महिलाएँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। जब तक महिलाएँ जागरूक नहीं होगी, तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभाएंगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाएँ शिक्षित होकर पुरुषों के समान राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग प्रदान कर सकती हैं। सशक्तिकरण सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए समय-समय पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है, जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। महिलाओं को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके विभिन्न योजनाओं को लागू करना महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक पहल है। इस प्रपत्र का उद्देश्य सरकार द्वारा चलायी गयी महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं को उजागर करना है।

महत्वपूर्ण विन्दु:- सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, आवश्यकता, आयाम, महत्व, योजनाएँ ।

1. प्रस्तावना:- महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग हैं। विश्व की आधी आबादी में महिलाएँ शामिल हैं। विश्व के इतिहास के पन्नों पर नजर डालने से पता चलता है कि सभी अवस्थाओं और युगों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दोगुना दर्ज का दर्जा दिया गया है। उन्हें पुरुषों की तुलना में कमतर आंका गया। सदियों से महिलाओं को कई मामलों में पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था। उन्हें संपत्ति रखने और अपने तरीके से जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि प्रारम्भिक दौर में भी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हमेशा पुरुषों के आधीन रहना पड़ा। लगातार कई वर्षों तक उत्पीड़न सहने के बाद वे निरंतर संघर्ष और कठिनाइयों के बाद उनको भी रूझान बाहरी दुनिया में बढ़ रहा है। समय के साथ सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए योजनाएँ प्रारम्भ की, ताकि शक्तिहीनता से महिलाओं को दूर कर उन्हें सशक्त और प्रबुद्ध बनाया जा सके। महिलाओं की शक्ति को आकार देने में शिक्षा की भूमिका आती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी भी देश की कुल आबादी का प्रमुख हिस्सा हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि तभी संभव है जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदार माना जाए। यह कहना बेहतर होगा कि महिला सशक्तिकरण समय की माँग है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक दुनिया के लाभ के बारे में सोचना असंभव है। अब समय आ गया है कि हम सोचें कि भारत

में साक्षरता दर अन्य विकसित देशों की तुलना में कम क्यों है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम होने के लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कई कारक शामिल हैं।

सशक्तिकरण सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जिसका विकास के संदर्भ में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सशक्तिकरण किसी व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों को परिभाषित करने और बाधाओं पर काबू पाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन और पर्यावरण को आकार देने की अपनी क्षमता को बढ़ाता है।

महिला सशक्तिकरण:- शिक्षित महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास तीव्र गति से होता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्तिहीनता की स्थिति से शक्तिशाली की स्थिति में ले जाना। महिलाओं को संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटकों जैसे सभी पहलुओं में खुद को शक्ति देने की क्षमता देना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए सकारात्मक विचार रखना और उन्हें विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना। सशक्तिकरण विकास में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में से एक बन गया है। महिला समूह, गैर-सरकारी संगठन, कार्यकर्ता, राजनेता, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ सशक्तिकरण को अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में संदर्भित करती हैं।



राधाकृष्णन ने कहा है:- कि “महिलाएँ भी मनुष्य हैं और उन्हें भी पुरुषों जितना ही पूर्ण विकास का अधिकार है। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर का सच्चा सूचक है।”

2. सशक्तिकरण की अवधारणा:- सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग विकास के संदर्भ में व्यापक रूप से किया जाता है, खास तौर पर महिलाओं के विकास के लिए। सशक्तिकरण किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को परिभाषित करने, उन्हें चुनौती देने और उन पर काबू पाने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अपनी रुचि के अनुसार निर्वाहन कर सकता है। सशक्तिकरण जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। सशक्तिकरण व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अवांछनीय और प्रतिकूल चीजों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने, बेहतर स्थिति को समझने और सभी बाधाओं को पार करते हुए बेहतर और सफल जीवन को सफल करने की ओर अग्रसर होता है। सशक्तिकरण व्यक्ति को अपना लक्ष्य चुनने तथा लक्ष्यों तक पहुँचने और अपनी पहचान बनाने व नये अवसर उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

वालस्टीन (1992) के अनुसार:- “सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग समाज में अन्याय से खुद को मुक्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। “

रैपापोर्ट (1987) का मानना है:- कि “सशक्तिकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग, संगठन और समुदाय उन समस्याओं पर आवश्यक नियंत्रण प्राप्त करते हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। “

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा:- महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी पहलुओं में खुद को शक्ति देने की क्षमता से युक्त करना। दूसरे शब्दों में, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनमें सकारात्मक आत्म-सम्मान पैदा करना, ताकि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। ताकि महिलाएँ विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें। सशक्त महिलाएँ परिवार से लेकर समाज तक सूक्ष्म स्तर से लेकर वृहद स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम हैं।

सुषमा (1998) का मानना है कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

एस्पी और संधू (1999) का मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना आवश्यक है, जिसमें महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों और संगठनात्मक नीतियों को लागू करने की अनुमति दी जाती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

चट्टोपाध्याय (2005) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण वह स्थिति है जिसमें महिलाएँ उत्पीड़ित होने की स्थिति से निकलकर ऐसी स्थिति में पहुँचती हैं, जहाँ उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान होते हैं।

शिवा (2001) का कहना है कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद लैंगिक असमानताओं के क्षेत्रों को संबोधित करता है।

इलियट (2008) के शब्दों में, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को रोटी कमाने वाली बनने की शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि वे परियोजनाओं से आय उत्पन्न करने और गरीबी से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।

तिवारी (2001) का मानना है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है।

3. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता:- महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। उन्हें समाज में अपनी समान स्थिति के प्रति सजग और जागरूक बनाने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण के बिना प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था और पुरुषों के वर्चस्व के कारण, महिलाओं को हर युग में बहुत कुछ सहना पड़ा है। उन्हें अपने सर्वांगीण विकास और विकास के लिए समान अधिकारों और अवसरों से वंचित रखा गया है।

4. सशक्तिकरण का महत्व:- ग्रामीण महिलाओं व युवा बालिकाओं को पढ़ाई और रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि वह खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकें। वह अपने अधिकारों एवं दायित्वों को भलीभाँति से परिचित हो सकें ताकि उनमें भरपूर आत्मविश्वास हो तथा सही गलत को पहचानने की शक्ति हो। जिससे वे खुद सही राह अपनाएँ और परिवार जनों को भी इसके दुष्परिणाम से अवगत करा सकें। महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में सशक्तिकरण का मतलब और गहराई सम्भावित हो जाती है। ग्रामीण महिलाओं का गाँव में रहकर वहाँ के परिवेश को समझ विकसित करना, स्थानीय कारीगरी व गाँव की कारीगरी को स्वावलम्बी बनाना, सक्षम बनाना, बेहतर बनाना सशक्तिकरण है जब तक महिला गाँव में रहकर गाँव की बेहतरी के लिए कदम उठाएंगी तो गाँव की समृद्धि और शिक्षा के माध्यम से खुशहाली निश्चित है। सशक्तिकरण के घटको को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।



5. महिला सशक्तिकरण के आयाम:-

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में 8 महत्वपूर्ण आयाम अग्रलिखित हैं:-

व्यक्तिगत सशक्तिकरण:- व्यक्तिगत सशक्तिकरण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक घटक है। यदि महिलाएँ व्यक्तिगत रूप से सशक्त महसूस करती हैं, तो अपने स्वयं के निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता पर विश्वास व भरोसा करके योग्य लक्ष्य निर्धारित करती हैं, और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेती हैं। व्यक्तिगत सशक्तिकरण उच्चस्तरीय, उच्च आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान जैसे गुणों से जुड़े होते हैं। महिलाएँ अपनी ताकत और कमजोरियों को दूर करके सफलता हासिल करने और जीवन को बदलने के लिए तत्पर होती हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से, व्यक्तिगत रूप से सशक्त होने का मतलब अपने जीवन के लिए जवाबदेही है, परन्तु इसका मतलब दूसरों से मदद मांगने से बचना नहीं है।

सामाजिक सशक्तिकरण:- सामाजिक सशक्तिकरण व्यक्तिगत और सांस्कृतिक या सामूहिक दोनों स्तरों पर होता है। सामूहिक स्तर पर, सामाजिक सशक्तिकरण में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किसी भी वातावरण में हर कोई शामिल और समर्थित महसूस कर सके, चाहे उसकी क्षमता, लिंग और अन्य कारक कुछ भी हों। सामाजिक सशक्तिकरण कई गैर-लाभकारी संगठनों और समूहों का मुख्य बिन्दु है जो सभी प्रकार के लोगों की स्वीकृति की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए, महिला के रूप में, सामाजिक रूप से सशक्त होने में यह चुनना शामिल हो सकता है कि आप कहाँ स्कूल जाना चाहते हैं? क्या काम करना चाहते हैं? कैसे अपना समय बिताना चाहते हैं? सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान से उन बाधाओं को तोड़ती हैं जो अन्यथा कुछ समूहों को विशिष्ट समुदायों में भाग लेने से रोकती हैं। वे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ, विशिष्ट समूहों के लिए समुदाय में प्रवेश की बाधाओं की पहचान करते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण:- आर्थिक घटक के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। आर्थिक सशक्तिकरण में न केवल अपने जीवन की बेहतरी में योगदान देने के लिए सही वित्तीय उपकरण होना शामिल है, बल्कि उस समुदाय या समाज की भी बेहतरी में योगदान करना शामिल है जिसका आप हिस्सा हैं। आर्थिक सशक्तिकरण को आमतौर पर बड़े पैमाने पर संबोधित किया जाता है। गैर-लाभकारी और धर्मार्थ समूह लोगों को बजट बनाने के साधनों और ऋण प्रबंधन के लिए संसाधनों तक पहुँच के साथ आर्थिक सशक्तिकरण के व्यक्तिगत स्तर को प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

शैक्षिक सशक्तिकरण:- सशक्तिकरण प्राप्त करने का अर्थ है कि सीखने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करना और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने और विकसित करने की अनुमति देना। सशक्तिकरण की तरह, शैक्षिक सशक्तिकरण सामूहिक और

व्यक्तिगत स्तर पर होता है। आधुनिक दुनिया में हर किसी की बुद्धि का स्तर अलग-अलग हो सकती है। एक समान वातावरण बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि हम सभी अपने ज्ञान का विस्तार करने और नए अवसरों को अनलॉक करने के लिए समान शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच सकें। संसाधनों के साथ स्वयं-शिक्षित होकर शैक्षिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

संगठनात्मक सशक्तिकरण:- संगठनात्मक सशक्तिकरण मुख्य रूप से व्यापार और रोजगार परिदृश्य में संदर्भित, एक विशिष्ट समूह के भीतर सभी लोगों के लिए एक समावेशी, सहायक वातावरण बनाने पर आधारित है। संगठनात्मक सशक्तिकरण, व्यावसायिक वातावरण में समावेश, विविधता और समानता को संदर्भित नहीं करता है। संगठनात्मक सशक्तिकरण केवल व्यावसायिक वातावरण में समावेश, विविधता और समानता को संदर्भित नहीं करता है। स्कूल और शैक्षणिक सुविधाएं छात्रों को पूरे छात्र समूह के लिए सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित समूह बनाने की अनुमति देकर संगठनात्मक सशक्तिकरण में योगदान दे सकती हैं।

सांस्कृतिक सशक्तिकरण:- सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को बनाए रखने में सहज महसूस करता है। सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को बनाए रखने में सहज महसूस करता है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए शिक्षा, स्वीकृति और समझ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समूहों को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोगों के मूल्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माता-पिता, शिक्षक और नेतृत्व की स्थिति में लोग लोगों को विभिन्न विश्वास प्रणालियों का सम्मान करना सिखाकर सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए माहौल बना सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, सांस्कृतिक सशक्तिकरण चाहने वाले लोगों को अपनी मान्यताओं के आधार पर स्वस्थ सीमाएँ निर्धारित करना सीखने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें दूसरों को अपने मूल्यों और अपेक्षाओं को समझाने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वे दिन-प्रतिदिन अपनी जरूरतों को समझ सकें।

शारीरिक सशक्तिकरण:- महिलाओं को अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्हें किसी भी तरह की यौन हिंसा या हमले से खुद को बचाने की क्षमता होनी चाहिए। शारीरिक सशक्तिकरण में अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना शामिल है। शारीरिक रूप से सशक्त व्यक्ति को अपनी कामुकता को अपनाने में सक्षम महसूस करना चाहिए। शारीरिक रूप से सशक्त लोग यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे किस तरह का आहार अपनाना चाहते हैं (शाकाहारी भोजन, शाकाहार, आदि), वे कितनी बार व्यायाम करते हैं, वे कितने यौन रूप से सक्रिय होना चाहते हैं। शारीरिक सशक्तिकरण के उच्च स्तर को प्राप्त करने में अक्सर आत्म-प्रेम और उच्च स्तर के आत्म-सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता शामिल होती है। जो लोग शारीरिक रूप से सशक्त महसूस करते हैं, उनमें शरीर के प्रति सकारात्मकता अधिक होती है, और वे शारीरिक दृष्टिकोण से खुद को जिस तरह से उचित समझते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। अपेक्षाओं को समझाने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वे दिन-प्रतिदिन अपनी जरूरतों को समझ सकें।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण:- शारीरिक सशक्तिकरण के सिक्के के दूसरी तरफ, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण है, या अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के बारे में चुनाव करने की स्वतंत्रता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाने पर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त हो जाते हैं। जब आप मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को पहचानने में सक्षम होते हैं, साथ ही दूसरों के अनुभवों को भी। अधिकांश प्रकार के सशक्तिकरण की तरह, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर अपनाया जाता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, आप अपनी भावनाओं का सम्मान करके और जानबूझकर उनमें बैठकर, कुछ भावनाओं से अभिभूत होने पर मदद मांगकर और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बारे में अधिक जानकर मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक सशक्त बन सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित सरकारी योजनाएँ- महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझते हुए सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार ने पिछले दो दशकों में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाओं का शुभारम्भ किया है। इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम और योजनाएँ पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर जा सकता है, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से सशक्त

बनाया जा सके। कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के रोजगार और सर्वांगीण विकास को बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजनाओं का शुभारम्भ किया। भारत में महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास अग्रलिखित हैं-

राष्ट्रीय महिला कोष:-

1. महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
2. ऋण प्रबंधन की शिक्षा के साथ ऋण के प्रावधान को एकीकृत करना और व्यक्तिगत महिलाओं के लिए साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. गरीब महिलाओं तक ऋण सुविधाओं की पहुँच में सुधार करना।

एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना:- महिलाओं को रोजगार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा 1978 में आईआरडीपी की शुरुआत की गई थी और 1980 में इसे लागू किया गया था। हालांकि, सहायता प्राप्त कुल परिवारों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 1885-86 में 9.90 प्रतिशत से बढ़कर 1996-97 में 33.12 प्रतिशत के लगभग हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यक्रम धीरे-धीरे महिला लाभार्थियों के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

महिला समाख्या कार्यक्रम (1989)- महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा), एक प्रभावी प्रक्रिया-उन्मुख महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से गरीब, सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम अब नौ राज्यों में चालू है। यह महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 1989 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में शुरू किया गया था। महिला समाख्या शैक्षिक पहुँच और उपलब्धि में पारंपरिक लिंग असंतुलन को संबोधित करती है। इसमें महिलाओं (विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए के समूहों से) को अलगाव और आत्मविश्वास की कमी, दमनकारी सामाजिक रीति-रिवाजों जैसी विभिन्न समस्याओं को संबोधित करने और उनसे निपटने में सक्षम बनाना शामिल है जो उनके सशक्तिकरण के रास्ते में आती हैं। आज, महिला समाख्या बिहार सहित 9 राज्यों के 60 से अधिक जिलों के 12,000 गाँवों में सक्रिय है, जहाँ यूनिसेफ और महिला समाख्या लंबे समय से भागीदार हैं। महिला संख्या, वैकल्पिक केन्द्रों, आवासीय शिविरों और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केन्द्रों में सीखने के अवसर पैदा करने के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम करते हुए स्कूल न जाने वाली लड़कियों को लक्षित करने में विशेष रूप से सफल रही है।

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:- जुलाई 2003 में शुरू की गई एनपीईजीईएल एसएसए का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की मौजूदा योजना के तहत एनपीईजीईएल प्राथमिक स्तर पर वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करता है। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में लागू की जाती है, जहाँ महिला साक्षरता का स्तर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम है।

कस्तूरबा गाँधी विद्यालय:-

1. शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना।
3. वंचित लड़कियों की पहुँच सुनिश्चित करना
4. सभी लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
5. स्कूल के माहौल को लड़कियों के अनुकूल बनाना।

समृद्धि योजना:- एमएसवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों या पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता को प्रेरित करना है।

1. उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं।
2. एससी और एसटी जैसे हाशिए के समूहों से संबंधित महिलाओं को सामाजिक वर्जनाओं से आगे बढ़ने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करना।
3. ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार।
4. आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और बनाना।
5. महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने में मदद करना है।

सर्व शिक्षा अभियान:- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ 2001 में शुरू किया गया था। एसएसए के भीतर कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हैं जैसे प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय जो विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में लड़कियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना गए हैं।

स्वाधार योजना:- संकटग्रस्त महिलाओं और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के रहने वाली महिलाओं की भोजन, कपड़े और आश्रय, चिकित्सा उपचार और देखभाल की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना।

1. दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के कारण बाधित होने वाली उनकी भावनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाना।
2. उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्वासित करना।
3. संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए एक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना।
4. उन्हें एक नई शुरुआत और उम्मीद के साथ अपना जीवन शुरू करने में सक्षम बनाना।

प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन:- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली हाशिए पर रहने वाली महिलाओं, लड़कियों को भोजन, कपड़े, आश्रय और देखभाल की बुनियादी जरूरतें प्रदान करना। महिलाओं को भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान करना ताकि वे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। शिक्षा, जागरूकता और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को पुनर्वास प्रदान करना। सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयास से उन महिलाओं व लड़कियों के लिए विशिष्ट नैदानिक, कानूनी और अन्य सहायता की व्यवस्था करना, जिन्हें इन हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

हेल्पलाइन या अन्य सुविधाएँ प्रदान करना:- इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों में उनके परिवारों द्वारा छोड़ी गई विधवाएँ, जेल से रिहा हुई महिला कैदी, तस्करी की गई महिलाएँ, चरमपंथी हिंसा की शिकार महिलाएँ आदि शामिल हैं।

स्वयं सिद्धा (एसएस)- महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, स्वयं सिद्धा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2001 में शुरू की गई महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना महिलाओं को सभी पहलुओं में सशक्त बनाने में सक्षम रही है।

महिला सशक्तिकरण के लिए नवीनतम भारतीय सरकारी योजनाएँ- भारत समेत पूरी दुनिया के देश महिला सशक्तिकरण को महत्व दे रहे हैं। 'मेटो और टाइम'अप' जैसी पहलों के साथ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और दुनिया भर में कमजोर पीड़ितों की आवाज उठाने में मदद की। हमारे देश के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं।

मिशन शक्ति:- मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता मिशन है, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, जिसे राज्य में 8 मार्च 2001 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लागू किया गया था। मिशन शक्ति का स्पष्ट उद्देश्य महिलाओं को ऋण और बाजार संपर्क प्रदान करके लाभकारी गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति के तहत के माध्यम से महिलाओं का

सशक्तिकरण सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह एक न्यायपूर्ण समाज के लिए इच्छित परिवर्तनों को सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है जहाँ महिलाएँ भी अपनी बात रख सकती हैं।

महिला ई-हाट:- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उत्पादों को प्रदर्शित करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया एक सीधा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। महिलाएँ अपने काम को व्यापक बाजार में प्रदर्शित करके इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकती हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बाल लिंग अनुपात में गिरावट और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को 100 करोड़ रुपये के शुरुआती वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया था। बीबीबीपी की योजना शुरू में 2014-15 में 100 जिलों में शुरू की गई थी। धीरे-धीरे इसका विस्तार देश के सभी 640 जिलों में किया गया। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के समूहों को लक्षित करता है।

वन स्टॉप सेंटर योजना:- वन स्टॉप सेंटर को लोकप्रिय रूप से सखी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2015 को निर्माण फंड से लागू किया गया था। वन स्टॉप सेंटर भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जहाँ हिंसा के शिकार लोगों को एक ही छत के नीचे पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ एकीकृत हैं। इन केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है:-

1. आपात कालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएँ प्राप्त करने के लिए।
2. चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए।
3. एफआईआर/एनसीआर दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए।
4. मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता परामर्श प्राप्त करने के लिए।
5. आश्रय प्राप्त करने के लिए।

कामकाजी महिला छात्रावास:- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास विशेषरूप से कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, साथ ही उनके बच्चों के लिए डेकेयर सुविधा भी प्रदान करना है।

नारी शक्ति पुरस्कार:- नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, जो महिलाओं और संस्थाओं द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के प्रयासों को मान्यता देता है। ये पुरस्कार हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

6. निष्कर्ष:- महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। महिलाओं के शिक्षित होने से उनमें सशक्ता आती है। समय के साथ-साथ लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आने के परिणाम स्वरूप लोगों में विकास के मुद्दे एवं महिलाओं के अधिकार को समझने लगे हैं। शिक्षा पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को कम करती है और परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के साधन के रूप में कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण हर पीढ़ी के लिए मायने रखता है। महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार भी महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध है। प्राचीन समय में महिलाओं को व्यावसायिक गतिविधियों से दूर रखने के कारण उनका सुनिश्चित विकास नहीं हो पता था। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं के शिक्षित होने

से वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। सशक्तिकरण से महिलाओं की स्थिति सुधारने और स्थिति को बदलने का सबसे मजबूत हथियार है। शिक्षित व सशक्त महिलाएँ राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा तो परिणाम सकारात्मक एवं सहयोगी होंगे। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृति व अधिकारों की सही जानकारी हो सकेगी। जिससे वे अपने कौशल का विकास एवं महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेकर स्वालम्बी बनकर राष्ट्र का सहयोग करेंगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. Agrawal, S. and Salve, S. (2013) "Women Empowerment: Need of Women Education. Indian Journal of Education Research Experimentation and innovation (IJEREI). ISSN-2231- 0495.Vol-3. Issue 4 [2].
2. Aijaz J, Shashikala ADJ. Empowerment of Women through Education. Golden Research Thoughts, 2013, 2(10)
3. Bala, M. and Monga, O.P (2004) "Impact of Women employment on decision mking in families social welfare. 51(5),13-16.
4. Bhat, R. A. (2015). Role of Education in the Empowerment of Women in India. Journal of Education and Practice, 6(10), 188–192.
5. Bhattacharya, J., & Banerjee, S. (2012). Women empowerment as multidimensional capability enhancement: An application of structural equation modeling. Poverty & Public Policy, 4(3), 79-98.
6. Charlie, G. (2011). Women's education and modern contraceptive use in Ethiopia. International Journal of Education ISSN 1948-5476 2011, 3(1), E9.
7. Chaudhary, T. (n.d.). Revamping Public Education: towards Gender Equity and Women's Empowerment in India. International Journal, 1(2), 783–794.
8. Desai, N. and U. Thakkar (2007): "Women and Political Participation in India", Women in Indian Society, New Delhi, National Book Trust.
9. गुर्जर आर.एस.(2020). महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार, राज पब्लिशिंग हाउस जयपुर.
10. डालमिया डी.एन. (2003) नए आयामों को तलाशती नारी, नवचेतन प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली.
11. द्विवेदी आर.(2005). महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ एवं राजनीतियाँ, भोपाल पूर्वाशा प्रकाशन.
12. मौर्य,एस.(2012) भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर पृ.सं.-8.